रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266274
CG-DL-E-20092025-266274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947
No. 611] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 688(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005, के नियम 18 में,-

(i) उप-नियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग या तो स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में या उत्पादन, पारेषण या वितरण के भाग के रूप में किया जाएगा।"

(ii) उप-नियम (4) और (5), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(4)(क) ऊर्जा भंडारण प्रणाली का विकास, स्वामित्व, पट्टा या संचालन किसी उत्पादन कंपनी या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता या किसी प्रणाली प्रचालक या किसी स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

(ख) किसी उत्पादन स्टेशन या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता के स्वामित्व और संचालन वाली तथा उनके साथ सह-अवस्थित ऊर्जा भंडारण प्रणाली की विधिक प्रास्थिति वही होगी जो स्वामी की है:

परंतु यदि ऐसी ऊर्जा भंडारण प्रणाली उत्पादन स्टेशन या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के साथ सह-अवस्थित नहीं है, किंतु उसके स्वामित्व में है और उनके द्वारा प्रचालित है, तो विधिक प्रास्थिति तब भी वही होगी जो स्वामी की है, किंतु समय-निर्धारण और प्रेषण तथा अन्य मामलों के प्रयोजन के लिए इसे एक पृथक भंडारण तत्व के समतुल्य माना जाएगा।

(5) ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकासकर्ता या स्वामी के पास भंडारण क्षमता को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी उपभोक्ता को या उत्पादन या पारेषण या वितरण में लगी किसी यूटिलिटी को या किसी भार प्रेषण केंद्र को या किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने या पट्टे पर या किराए पर देने का विकल्प होगा। ”

[फा. सं. 23/2/2022-आरएंडआर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 379(अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 181(अ), तारीख 12 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2025

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005, in rule 18,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(2) The Energy Storage System shall be utilised either as independent energy storage system or as part of generation, transmission or distribution.”

(ii) for sub-rules (4) and (5), the following sub rules shall be substituted, namely:-

“(4)(a) The Energy Storage System may be developed, owned, leased or operated by a generating company or a transmission licensee or a distribution licensee or a consumer or a system operator or an independent energy storage service provider.

(b) The Energy Storage System owned and operated by and co-located with a generating station or a transmission licensee or a distribution licensee or a consumer, shall have the same legal status as that of the owner:

Provided that if such an Energy Storage System is not co-located with, but owned and operated by, the generating station or distribution licensee or consumer, the legal status shall still be that of the owner but for the purpose of scheduling and dispatch and other matters it shall be treated at par with a separate storage element.

(5) The developer or owner of the Energy Storage System, shall have an option to sell or lease or rent out the storage capacity in whole or in part to any consumer or utility engaged in generation or transmission or distribution or to a Load Despatch Centre or any other person.”

[F. No. 23/2/2022-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 379(E), dated the 8th June, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R 181(E), dated the 12th, March 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA